एस.**बी. कपूर, ए.एन. ग्रोवर और हरबंस सिंह से पहले, जे.जे. रूपलाल मेहता,-याचिकाकर्ता।**

**बनाम**

**धन सिंह, और अन्य,-प्रतिवादी।**

1967 की चुनाव याचिका संख्या 15

17 मई, 1967.

भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 326–जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का XLIII)— धारा 62 और 100(1)(डी)(iii) और (iv) - उच्च न्यायालय एक चुनाव याचिका की सुनवाई कर रहा है - क्या यह निर्धारित कर सकता है कि कुछ मतदाता जिन्होंने अपना वोट डाला है और चुनाव में वोट अर्हता तिथि पर इक्कीस वर्ष से कम आयु के थे।

माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 326 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित करने में सक्षम बनाता है कि चुनाव में मतदान करने वाले कुछ व्यक्तियों की आयु अर्हता तिथि पर 21 वर्ष पूरी नहीं हुई है। और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(एल)(डी)(iii), ऐसा करने में सक्षम बनाती है।

माना गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 की उपधारा (1) प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है जिसका नाम फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र मे हो। और उपधारा (2) से (5) स्पष्ट रूप से उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अपवाद की प्रकृति में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि धारा 62 में इस दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है

उस व्यक्ति का वोट जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में था और जो निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार था, को चुनौती दी जा सकती है यदि चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान इसे दिखाया जा सके कि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाया था

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग VI के अध्याय II और अधिनियम की धारा 80, 81 और 100 के तहत याचिका। और उस अध्याय के विभिन्न अन्य खंड प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 श्री धन सिंह का चुनाव घोषित किया जाए

याचिकाकर्ता की ओर से प्रेम चंद जैन और ए.एस. आनंद वकील रहे।

प्रतिवादियों की ओर से एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. आर. अग्रवाल, डी. एस. नेहरा और बी. एस. के होजी, अधिवक्ता:

**आदेश**

कपूर, जे.- जो प्रश्न पूर्ण पीठ को भेजा गया है वह यह है कि "क्या प्रतिनिधित्व की धारा 80-ए के साथ पठित धारा 80 के तहत उच्च न्यायालय में की गई चुनाव याचिका में

1951 का लोक अधिनियम संख्या 43 (इसके बाद 1951 अधिनियम के रूप में संदर्भित) ^ जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा संशोधित किया गया है, डाले गए कुछ वोट धारा 100(1)(डी) के तहत चुनौती के लिए खुले हैं। अधिनियम के (iii) और (iv) इस आधार पर उन वोटो को चुनौती दी गई यह कि चुनाव में मतदान करने वाले व्यक्ति योग्यता के आधार पर 21 वर्ष से कम आयु के थे ।धारा 100 में चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए आधार शामिल हैं और जहां तक प्रासंगिक है, यह प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय की राय है * * * *

* (डी) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक लौटे उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

^#£***

(ii)* * * * *

(iii) किसी मत को अनुचित तरीके से स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अस्वीकार करने या किसी ऐसे मत को स्वीकार करने से जो शून्य हो; या

(iv) संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का अनुपालन न करने से;

तो उच्च न्यायालय लौटाई गई उम्मीदवार तिथि के चुनाव को शून्य घोषित कर देगा। भारत के संविधान का प्रासंगिक प्रावधान अनुच्छेद 326 है और चूंकि अधिकांश विवाद इसी पर टिका है

इस अनुच्छेद की व्याख्या, इसे पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है: -

"लोगों की सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति जो

भारत का नागरिक और जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके लिए तय की गई तारीख पर इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है और इस संविधान या उपयुक्त द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अन्यथा अयोग्य नहीं है। गैर-निवास, मन की अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर विधायिका ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की हकदार होगी।

श्री पी. सी. जैन, जो चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हैं, जिसमें हरियाणा विधान सभा के चुनाव में डाले गए कुछ वोटों को मतदाताओं की उम्र से कम होने के आधार पर चुनौती दी गई थी। 21, संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने का प्रयास करता है जिसमें अर्हता तिथि पर 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव में मतदान में निषेध शामिल है। उनके प्रस्तुतीकरण के अनुसार, यह उपरोक्त उप-खंड (iii) के भीतर एक शून्य वोट है और संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय पी. कुन्हिरमन बनाम वी. आर. कृष्णा अय्यर (1) की पूर्ण पीठ के फैसले के संदर्भ में अपने तर्क का समर्थन किया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 327 संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में है। जिसमें मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। अनुच्छेद 328 के तहत, जहां तक संसद द्वारा इस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है, किसी राज्य का विधानमंडल सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है ।संविधान के अनुच्छेद 326 और 327 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, संसद ने प्रतिनिधि सभा की घोषणा की।

रूपलाल मेहता बनाम धन सिंह, आदि (कपूर, जे.)

1950 के लोक अधिनियम संख्या 43 (इसके बाद 1950 अधिनियम के रूप में संदर्भित) का प्रेषण, जो, जैसा कि लंबे शीर्षक से संकेत मिलता है, चुनाव के उद्देश्य से सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है, लोक सभा और राज्यों के विधानमंडल, ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यताएं, मतदाता सूची की तैयारी, राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों को भरने का तरीका और उससे जुड़े मामले। 1951

अधिनियम, लंबे शीर्षक के अनुसार, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के लिए चुनावों के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों का प्रावधान करता है। ऐसे चुनावों के संबंध में और ऐसे चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय 1950 अधिनियम के भाग III में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के प्रावधान शामिल हैं। धारा 14 का खंड (बी) प्रत्येक मतदाता सूची की तैयारी या संशोधन के संबंध में अर्हता तिथि को उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें इसे तैयार या संशोधित किया जाता है।

धारा 16 में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएँ शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: -

"16(1). कोई व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य होगा यदि वह-

(ए) भारत का नागरिक नहीं है; या

(बी) मानसिक रूप से विकृत है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(सी) चुनाव के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान से अयोग्य घोषित किया गया है।

(2) किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसे तुरंत उस मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा जिसमें वह शामिल है, बशर्ते कि, किसी भी व्यक्ति का नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से किसी कारण से काट दिया गया हो- उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत योग्यता को तुरंत उस रोल में बहाल किया जाएगा यदि ऐसी अयोग्यता, ऐसे रोल के लागू होने की अवधि के दौरान, ऐसे निष्कासन को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत हटा दी गई है।

धारा 17 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और धारा 18 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद धारा 19 आती है जो

पंजीकरण की शर्तें निर्धारित करता है और इस प्रकार है: -

“(19). पंजीकरण की शर्तें.–इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति जो–.

(ए) योग्यता तिथि पर इक्कीस वर्ष से कम नहीं है, और

(बी) किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

धारा 21 उस तरीके का प्रावधान करती है जिससे मतदाता सूची तैयार की जानी है और उनका पुनरीक्षण किया जाना है। धारा 22 के तहत, किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टियों को सही करने और धारा 23 के तहत गलत तरीके से छोड़े गए नामों को मतदाता सूची में शामिल करने का अधिकार है। हालाँकि, उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद, कोई नहीं हो सकता है

धारा 22 के तहत किसी प्रविष्टि में संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन और न ही धारा 23 के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कोई निर्देश। धारा 24 धारा 22 या धारा 23 के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। धारा के तहत 30, किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है या नहीं।

1951 अधिनियम में धारा 2 के खंड (ई) द्वारा, "निर्वाचक" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में "निर्वाचक' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू मतदाता सूची में दर्ज है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है। 1950 (1950 का 43)”।

वोट देने का अधिकार इस अधिनियम की धारा 62 द्वारा प्रदान किया गया है, जो हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है और नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“62(1). कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में फिलहाल दर्ज नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव में मतदान नहीं करेगा, और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करता है, तो ऐसे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उसके वोट शून्य हो जाएंगे। ------

(4) कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा, भले ही उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज किया गया हो, और यदि वह ऐसा मतदान करता है, तो उसके सभी वोट उसी निर्वाचन क्षेत्र में होंगे। निर्वाचन क्षेत्र शून्य होगा.

5) कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में बंद है, चाहे वह कारावास या परिवहन या अन्यथा की सजा के तहत हो, या पुलिस की कानूनी हिरासत में हो:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत निवारक हिरासत में है।

इस प्रकार धारा 62 की उपधारा (1) प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है जिसका नाम फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और उपधारा (2) से (5) स्पष्ट रूप से इस प्रकार की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार के अपवाद है। यह महत्वपूर्ण है कि धारा 62 में इस दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में था और जो निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार था, उसके वोट को चुनौती दी जा सकती है यदि सुनवाई हो। चुनाव याचिका में यह दिखाया जा सकता है कि उसने अर्हता तिथि पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। धारा 62 प्रथमतः अपने दायरे में व्यापक है और 1950 अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यताएं उपधारा (2) में उल्लिखित हैं। पंजीकरण के लिए एक बार के आधार पर जैसा कि दिया गया है

धारा 17, उपधारा (3) में निषेध है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव में मतदान नहीं करेगा, जबकि धारा 18 में दी गई पंजीकरण पर रोक उपधारा में दिए गए प्रावधान के अनुरूप है। (4). उप-धारा (2), (3) और (4) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति का वोट रद्द हो जाएगा और इसलिए, धारा 100 (एल) (डी) के तहत परीक्षा में चुनौती दी जा सकती है। iii) 1951 के अधिनियम के अनुसार मत प्राप्त करना अमान्य है। यदि किसी व्यक्ति का वोट, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन जो अर्हता तिथि पर 21 वर्ष से कम था, को भी शून्य माना गया था, तो कोई कारण नहीं है कि उप-धाराओं (2) के समान प्रावधान क्यों किया जाए ), धारा 62 की उपधारा (1) में दिए गए वोट के अधिकार के अपवाद के रूप में धारा 62 के (3) या (4) को उस धारा में नहीं जोड़ा जा सकता था। यदि संसद के पास ऐसा कोई उद्देश्य था, कोई भी करेगा

उम्मीद है कि इसमें उप-धारा (2) के अंत में कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए होंगे जैसे "या जो लोक प्रतिनिधित्व-* अधिनियम, 1950 की धारा 19 में दी गई पंजीकरण की शर्तों को पूरा नहीं करता है।"

मेरे विचार से 1950 के अधिनियम की योजना यह है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 19 में दी गई पंजीकरण की शर्तों को पूरा करता है और धारा 16 के तहत पंजीकरण के लिए अयोग्य नहीं है,

और धारा 17 के प्रावधानों द्वारा पंजीकरण से बाहर नहीं है और 18, उसे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम रखने का अधिकार है। उस प्रविष्टि को चुनौती देने के लिए 1950 के अधिनियम की अगली धाराओं में पर्याप्त प्रावधान हैं ताकि पंजीकरण अधिकारी द्वारा उचित मामलों में उस प्रविष्टि को अपने स्वयं के अनुरोध पर या उसे किए गए आवेदन पर सुधार करने में सक्षम बनाया जा सके, अर्थात, धारा 22 , और उसके निर्णय से धारा 24 द्वारा अपील भी प्रदान की जाती है, लेकिन मतदाता सूची में प्रविष्टियों में संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन करने की अंतिम तिथि उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद, जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है, वह 1951 अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित उस निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक बन जाता है और धारा 62 की उप-धारा (1) द्वारा उसे अधिकार प्रदान किया जाता है। हालाँकि, उस निर्वाचन क्षेत्र में उस धारा की उपधारा (2) से (5) के अपवादों के अधीन मतदान करें।

इसलिए, जहां तक 'दो अधिनियमों, अर्थात 1950 का अधिनियम और 1951 का अधिनियम, का संबंध है, स्थिति यह प्रतीत होती है कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उस व्यक्ति का वोट, जिसका नाम मतदाता सूची में है। मतदाता सूची को इस आधार पर शून्य मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अर्हता तिथि पर उसकी आयु 21 वर्ष से कम थी। यदि यह स्थिति सही नहीं है, तो तार्किक रूप से याचिकाकर्ता के लिए चुनाव याचिका में यह खुला होगा कि वह लौटे उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर भी चुनौती दे कि कई व्यक्तियों के नाम, जो मतदाता के रूप में दर्ज होने के लिए योग्य थे।

उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची या तो अनजाने में थी या अंतिम रूप दिए जाने पर जानबूझकर मतदाता सूची से हटा दी गई थी और यदि उनके नाम इस प्रकार दर्ज किए गए होते, तो वे लौटे हुए उम्मीदवार के खिलाफ संतुलन बना सकते थे। इस तरह का विवाद पहली नजर में बेतुका है और इसे स्वीकार करना मतदाता सूची में नामों के पंजीकरण, उनके पुनरीक्षण और उनमें प्रविष्टियों के सुधार के लिए 1950 के अधिनियम में विस्तृत प्रावधानों को निरर्थक और वास्तव में निरर्थक बना देगा। मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया, जो चुनाव के संचालन की प्रारंभिक प्रक्रिया है, चुनाव याचिका में जांच के लिए खुली हो जाएगी। यह निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं या संसद की मंशा नहीं हो सकती है और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 1950 के अधिनियम या 1951 के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संसद की मंशा ऐसी थी।

इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील 1951 अधिनियम की धारा 100(एल)(डी)(iii) का लाभ नहीं उठा सकते

याचिकाकर्ता की ओर से वैकल्पिक तर्क संविधान के अनुच्छेद 326 पर आधारित था, जिसे पहले ही दोहराया जा चुका है। यह तर्क दिया गया है कि वह अनुच्छेद जब शुरुआती शब्दों में कहता है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, तो यह वोट देने का सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है, न कि केवल वोट देने का। एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है और इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के पी. कुन्हीरामन बनाम वी. आर. कृष्णा अय्यर (1) (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया जाता है। उस मामले में मुख्य निर्णय एम.एस. मेनन, कार्यवाहक सी.जे. द्वारा दिया गया था, जिनके साथ टी.के. जोसेफ, जे. सहमत थे और विद्वान कार्यवाहक सी.जे. के फैसले में संक्षेप में बताए गए कारणों

को तीसरे विद्वान न्यायाधीश के फैसले में विस्तृत किया गया था। सी.ए., वैद्यलिंगम, जे. (अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)। पूर्ण पीठ के समक्ष निर्धारण का प्रश्न यह भी था कि क्या ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसका नाम मतदाता सूची में है और जिसने अपने मत का प्रयोग किया है, चुनाव न्यायाधिकरण इस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि क्या उसने बीस वर्ष की आयु प्राप्त की है या नहीं- क्वालीफाइंग डेल पर एक, और, यह पता चलने पर कि उसने ऐसा नहीं किया था, उसके वोट को गिनती से बाहर कर दिया। प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया गया। पहला कारण यह बताया गया कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, तो यह न केवल चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का बल्कि वहां मतदान करने का अधिकार प्रदान कर रहा था और के शब्दों में कार्यवाहक सी.जे. ने कहा, "यह मानना संविधान का मजाक होगा कि संविधान द्वारा इस देश के नागरिकों को जो दिया गया था वह था

मतदान के वास्तविक अधिकार के बिना पंजीकरण का महज प्रक्रियात्मक अधिकार।" इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मतदाता सूची में नाबालिगों की उपस्थिति और उसके परिणामस्वरूप उनका मतदान अनुच्छेद 326 का उल्लंघन होगा। तर्क यह है कि 1951 अधिनियम की धारा 62 उस व्यक्ति के वोट पर रोक नहीं लगाती है, जिसने अर्हता तिथि पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, जबकि इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह धारा 16 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन है।

1950 के अधिनियम में, यह अवलोकन किया गया कि धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा निपटाई गई अयोग्यताएं केवल उन प्रकार की अयोग्यताएं थीं जो न केवल पंजीकरण की तारीख पर मौजूद हो सकती हैं, बल्कि पहली बार भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद. दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अर्हता तिथि पर 21 वर्ष का था, तो समय के साथ उसकी उम्र कम नहीं होगी।

वैद्यलिंगम, जे. के फैसले में इन दो कारणों को दोहराया गया था, और जैसा कि मैं समझता हूं कि उस फैसले में पूर्ण पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के समर्थन में दो अन्य कारण भी दिए गए थे: -

(1) कि मतदाता सूची की तैयारी और उसे अंतिम रूप देना चुनाव की प्रक्रिया का उतना ही हिस्सा है जितना कि मतदान में वोटों का वास्तविक मतदान और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान का अनुच्छेद 326 इतना कुछ नहीं कहता है शब्द कि वे व्यक्ति, जो ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार होंगे, चुनाव में मतदान करने के भी हकदार हैं,

(2) भले ही 1951 अधिनियम की धारा 62 और संविधान के अनुच्छेद 326 के बीच कोई विरोधाभास प्रतीत हो, बाद वाला प्रबल होना चाहिए।

इस स्थिति के समर्थन में कि जो व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत थे, उनके वोटों को चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि उन्होंने अर्हता तिथि पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, एक इस तर्क को संबोधित किया गया कि 1950 अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) ने किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति को इस तथ्य के निर्णायक सबूत के रूप में बनाया है कि जिस व्यक्ति

का उल्लेख किया गया है वह प्रविष्टि उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वह 1950 अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन था। इस तर्क को बृजेंद्रलाल गुप्ता और अन्य बनाम ज्वालाप्रसाद और अन्य (2) के पैराग्राफ 12, 13 और 15 में निहित कुछ टिप्पणियों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अंतिम तर्क की हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे विद्वान वकील या उत्तरदाताओं द्वारा हमारे सामने पेश नहीं किया गया है और यह बहुत अच्छे कारण से है कि धारा 36 की उपधारा (7) में अनुमान केवल जांच के उद्देश्य से है। उम्मीदवारों के नामांकित राष्ट्रों की, जो हमारे सामने कोई मुद्दा ही नहीं है।

मैंने केरल न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उनके दृष्टिकोण के समर्थन में रखे गए अन्य कारणों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है और उचित सम्मान के साथ मैं खुद को सहमत होने में असमर्थ पाता हूं। जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 326 के शुरुआती शब्द हैं

चिंतित, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक नीति तैयार कर रहे हैं जो उस अनुच्छेद के अनुवर्ती शब्दों द्वारा प्रवर्धित है। शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (1947 पुनर्मुद्रण) में वयस्क को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है वयस्क, परिपक्वता की आयु तक पहुँच गया है और इसका संदर्भ किसी ऐसे व्यक्ति से होना आवश्यक नहीं है जो 21 वर्ष से कम आयु का न हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अलग-अलग सामाजिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, इसे एक वयस्क के रूप में माना जाना चाहिए, और इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि शुरुआती शब्द स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वोट देने का अधिकार हर उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने इसे प्राप्त कर लिया है। योग्यता तिथि पर आयु 21 वर्ष। अनुच्छेद का ऑपरेटिव भाग "अर्थात कहने के लिए" शब्दों से शुरू होता है, यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति इन शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं, वे चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार हैं। अंतिम शब्द हैं "ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा" न कि "क्या ए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और ऐसे किसी भी चुनाव में मतदान करने का हकदार होगा।" मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान में वास्तव में डाले गए वोट के तरीके के बारे में आगे का प्रश्न संविधान द्वारा कानून बनाने के लिए एक विषय के रूप में छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 327 के तहत संसद और अनुच्छेद 328 के तहत राज्य के कानून द्वारा संसद के किसी भी कानून के अभाव में।

1950 अधिनियम की धारा 19 के खंड (ए) में निर्दिष्ट योग्यता की कमी के कारण वोट की किसी भी कथित अमान्यता के लिए 1951 अधिनियम की धारा 62 में एक प्रावधान - या खंड (बी) में उस मामले के लिए। मेरे द्वारा पहले ही ऊपर बताए गए कारणों से इसका पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। मैं यह देखने में असमर्थ हूं कि यह तथ्य, कि धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा निपटाई गई अयोग्यताएं पंजीकरण की तारीख पर मौजूद हो सकती हैं और उसके बाद भी उत्पन्न हो सकती हैं, तर्क को कैसे प्रभावित करेंगी

अगला तर्क, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दोहराया, इस दलील पर आधारित था कि मतदाता सूची की तैयारी और अंतिम रूप देना चुनाव प्रक्रिया का उतना ही हिस्सा था जितना कि मतदान में मतदान। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है।

नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नमक्क/एक्सएल, सलेम जिला और अन्य (3); जिसके निम्नलिखित प्रभाव हैं:-

"मुझे ऐसा लगता है कि "चुनाव' शब्द का इस्तेमाल संविधान के भाग XV में व्यापक अर्थ में किया गया है, यानी किसी उम्मीदवार को विधायिका में वापस लाने के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है।"

■*

सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या नामांकन पत्र को खारिज करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत वर्जित था। उच्च न्यायालय ने माना था कि उसके पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और उस दृष्टिकोण की उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की थी। अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 329 (बी) में प्रयुक्त "चुनाव" शब्द का अर्थ केवल मतदान का परिणाम है और उम्मीदवार का अंतिम चयन निरस्त कर दिया गया है। हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून (खंड 12. दूसरा संस्करण) के पृष्ठ 237 से एक अंश उद्धृत किया गया था, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है: -

“हालांकि हर चुनाव में पहला औपचारिक कदम रिट का मुद्दा होता है, कुछ उद्देश्यों के लिए चुनाव को पहले की तारीख में शुरू करने पर विचार किया जाता है। यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है जब चुनाव इस तरह से शुरू होता है कि संबंधित पक्षों को चुनाव कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, परीक्षण यह है कि क्या मुकाबला 'उचित रूप से आसन्न' है। इस दृष्टिकोण से न तो रिट जारी करने और न ही चुनाव की सूचना के प्रकाशन को चुनाव शुरू होने की तारीख तय करने के रूप में देखा जा सकता है। न ही, फिर से, नामांकन का दिन कोई मानदंड रखता है। चुनाव आम तौर पर रिट जारी होने से कम से कम पहले शुरू होगा। चुनाव कब शुरू होता है, इस सवाल को ध्यान से इस बात से अलग किया जाना चाहिए कि चुनाव का 'आचरण और प्रबंधन' कब शुरू होगा। फिर, यह प्रश्न कि कोई विशेष व्यक्ति कब उम्मीदवार बनना शुरू करता है, प्रत्येक मामले में विचार करने योग्य प्रश्न है।

मुझे नहीं लगता कि इस फैसले में इस निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए कुछ भी कहा गया है कि मतदाता सूची की तैयारी चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और यह सुप्रीम कोर्ट के हरि विष्णु कामथ बनाम के बाद के फैसले में तथ्य की बात है। अहमद इसहाक और अन्य (4), विद्वान न्यायाधीशों ने एन. एक अधिसूचना की और एक उम्मीदवार के चुनाव की घोषणा के साथ समाप्त होगी। ये टिप्पणियाँ इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं कि चुनाव कराने की तैयारी, जिसका एक अनिवार्य हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी है, और चुनाव की प्रक्रिया, जो अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होती है, के बीच एक अंतर है। निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार को चुनने का आह्वान किया। तदनुसार, तथ्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 326 में वोट के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख करते हुए यह भी नहीं जोड़ा गया है कि इस

प्रकार योग्य व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, इसे महत्व के बिना नहीं माना जा सकता है। इसलिए, मेरा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 326 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय को एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित करने में सक्षम बनाएगा कि कुछ व्यक्तियों ने मतदान किया था। चुनाव की अर्हता तिथि पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई थी। तदनुसार, 1951 अधिनियम की धारा 100(एल)(डी)(iv) भी याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए पद के लिए कोई मदद नहीं करेगी।

ऊपर दिए गए विचार को गुलाम मोहि-उद-दीन बनाम टाउन एरिया सकीट और अन्य (5) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से समर्थन मिलता है। पूर्ण पीठ के समक्ष निर्णय का मुद्दा यह था कि क्या टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहा चुनाव न्यायाधिकरण इस विवाद पर गौर कर सकता है कि कुछ व्यक्तियों के नाम निश्चित रूप से तैयार की गई मतदाता सूची में जगह नहीं पाते हैं। टाउन एरिया में वार्ड इस आधार पर कि उनमें से कुछ नाबालिग थे और कुछ संबंधित वार्डों में नहीं रहते थे। पूर्ण पीठ का गठन करने वाले अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों, रघुबर दयाल, जे. (जैसा कि वह तब थे) और एम. एल. चतुर्वेदी, जे. द्वारा इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया गया था और चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया था कि मतदाता सूची चुनाव याचिका के उद्देश्य के लिए अंतिम और निर्णायक को सर्टिओरीरी की रिट द्वारा रद्द कर दिया गया था, विद्वान न्यायाधीशों ने यूपी के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया। नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914, एवं अन्य उ.प्र. क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान, जिन्हें फैसले में पुन: प्रस्तुत किया गया है। क़ानून में प्रावधान था कि विवादित चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर और विशेष वार्ड में शामिल क्षेत्र से संबंधित विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर था। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएँ भी 1950 अधिनियम की धारा 16 के समान ही थीं। टाउन एरिया एक्ट की धारा 6-एफ में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज है, उस शब्द में वोट देने का हकदार होगा। चतुवेर्दी, जे., ने इस प्रकार कहा:-

“मेरे विचार से, यह कहना भाषा का दबाव नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का वोट वैध वोट होगा। यह सच है कि टाउन एरिया अधिनियम की धारा 6-ए में कहा गया है कि सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु मतदाता सूची 21 वर्ष की है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर अंतिम निर्णय मतदाता सूची तैयार करने वाले प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार केवल प्रविष्टि का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने नामांकन की आवश्यक योग्यताएं या शर्तें पूरी कर ली हैं और मतदाता सूची के अंतिम हो जाने के बाद किसी भी बाद के चरण में इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि इस प्रकार दर्ज किया गया व्यक्ति वास्तव में शर्तों को पूरा नहीं करता है। उनका नाम वहां होने से यह माना जाएगा कि वह शर्तें पूरी करते हैं।'

पृष्ठ 360 पर रघुबर दयाल, जे. का भी यही विचार था। उन्होंने देखा कि धारा 16 में यह उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति, जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहता है, को पंजीकरण के लिए अयोग्य ठहराया गया था। उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची। उसके बाद उनके द्वारा 1950 के अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 का संदर्भ दिया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी व्यक्ति का गैर-निवास

निर्धारित अवधि या 21 वर्ष की आयु प्राप्त न करना पंजीकरण के लिए अयोग्यता नहीं है, बल्कि यह पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं होने के समान है। आगे यह देखा गया कि धारा 16 में उल्लिखित अयोग्य योग्यताएं योग्यताओं की अनुपस्थिति के समान नहीं थीं। धारा 6-एफ उ.प्र. टाउन एरिया अधिनियम, 1914, 1951 अधिनियम की धारा 62 के समान था और निष्कर्ष यह था कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति के वोट देने के अधिकार को निर्धारित करते हैं। वोट देने का अधिकार किसी निश्चित आयु प्राप्त करने या किसी निश्चित क्षेत्र में रहने के कारण नहीं था

निर्धारित अवधि के लिए, लेकिन अधिनियम की धारा 6-एफ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान किया गया था और यह केवल किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में उसके नाम के अस्तित्व पर आधारित था। यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था, तो उनका वोट प्रथम दृष्टया वैध वोट था। हालाँकि, यह विभिन्न कारणों से गैरकानूनी हो सकता है, अर्थात, यदि इसे धारा 6-एफ (उपधाराओं के अनुरूप) (2) की उपधारा (2) से (5) के किसी भी प्रावधान द्वारा अमान्य कर दिया गया हो। (5) 1951 अधिनियम की धारा 62) या ?च यह भ्रष्ट आचरण द्वारा प्राप्त किया गया था।

यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो दो विद्वान न्यायाधीशों के फैसले में पूर्ण पीठ द्वारा रखे गए दृष्टिकोण के समर्थन में दिए गए कारण समान रूप से मान्य हैं जहां तक हमारे द्वारा विचाराधीन बिंदु का संबंध है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पी. कुन्हीरामन बनाम वी. आर. कृष्णा अय्यर (1), (सुप्रा) मामले में इलाहाबाद पूर्ण पीठ के फैसले को केरल उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से जुझार ए सिंह बनाम भैरों लाई और अन्य (6) और रामदयाल अयोध्याप्रसाद गुप्ता बनाम आर.के. की ओर से बार में कुछ अन्य मामलों का हवाला दिया गया था। पाटिल और अन्य (7) और मुबारक मजदूर बनाम लाई बहादुर (8) प्रतिवादी की ओर से

मैं उन पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि वे केरल और इलाहाबाद न्यायालयों की पूर्ण पीठ के निर्णयों की तरह वजनदार नहीं हैं और उनमें ऐसा कोई तर्क नहीं है जिस पर ऊपर विचार न किया गया हो।

अंत में उस तर्क पर ध्यान देना आवश्यक है जो प्रतिवादी की ओर से 1950 अधिनियम की धारा 30 के आधार पर दिया गया था। यह बताया गया कि चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय निस्संदेह एक सिविल न्यायालय है और 1951 अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव याचिका पर लागू प्रक्रिया के अनुसार यथासंभव उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए। इसलिए 1950 के अधिनियम की धारा 30 के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है या नहीं, किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित होगा। श्री सिब्बल ने बी.एम. रामास्वामी बनाम बी.एम. कृष्णमूर्ति और अन्य (9) के संदर्भ में इस तर्क का समर्थन किया। यह तर्क प्रथम दृष्टया प्रशंसनीय है, लेकिन यह देखते हुए कि 1951 के अधिनियम की धारा 100 द्वारा उच्च न्यायालय को धारा 100 (एल) (डी) में बताए गए आधार पर एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। (iii) और (iv), इस धारा के प्रावधानों को धारा 30 के

प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाना आवश्यक होगा। ऐसा लगता है कि जब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा, उच्च

न्यायालय को धारा 100 के तहत क्षेत्राधिकार दिया गया था, परिणामी संशोधन अनजाने में धारा 30 में नहीं किया गया था ताकि उच्च न्यायालय की चुनाव याचिका की सुनवाई को सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र से उस हद तक बाहर रखा जा सके जिस हद तक उच्च न्यायालय के तहत क्षेत्राधिकार था। 1951 अधिनियम की धारा 100 और 101, और यह माना जाना चाहिए कि 1950 अधिनियम की धारा 30 में निहित संशोधन किया गया है।

इसलिए, पहले से दिए गए कारणों के आधार पर मैं यह मानूंगा कि इस फैसले के शुरुआती भाग में जो प्रश्न उठाया गया है और जिस पर पूर्ण पीठ की राय आमंत्रित की गई है, उसका उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

ए. एन. ग्रोवर, जे.-मैं सहमत हूं।

हरबंस सिंह, जे.-मैं भी सहमत हूं।

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा